न्यायालयः— अपर जिला जज गोहद जिला भिण्ड म०प्र० समक्ष—डी०सी०थपलियाल

प्रकरण क्रमांक 100056 / 16 वैवाहिक

दीपक कुशवाह पुत्र रामचरन कुशवाह आयु 30 साल निवासी ग्राम छरेंटा (एनो) थाना एण्डोरी परगना गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

-----आवेदिका

बनाम

श्रीमती शकुन्तला पुत्री लच्छी उर्फ लच्छीराम कुशवाह निवासी ग्राम गढी हरीक्षा तहसील गोरमी परगना मेहगांव जिला भिण्ड म०प्र०

-----अनावेदक

आवेदिका द्वारा श्री के०सी०उपाध्याय अधिवक्ता अनावेदिका द्वारा श्री अशोक जादोन अधिवक्ता

//नि र्ण य//

// आज दिनांक 3-3-2017 को पारित किया गया //

- 1— वर्तमान याचिका अन्तर्गत धारा 13(ख) हिन्दू विवाह अधिनियम के तहत विवाह के उभयपक्षकारों के द्वारा आपसी सहमति के आधार पर विवाह विच्छेद की डिक्री पारित किये जाने वाबत् पेश किया गया है, जिसका कि निराकरण किया जा रहा है |
- 2— उभयपक्षों के द्वारा प्रस्तुत आवेदनपत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि दीपक (जो कि आवेदन पत्र में आवेदक के रूप में वर्णित किया गया है) एवं श्रीमती शकुन्तला(जो कि आवेदनपत्र में अनावेदिका के रूप में वर्णित की गयी है) (जिन्हें कि सुविधा की दृष्टि से पक्षकार क्रमांक 1 व 2 के रूप में वर्णित किया जायेगा) का विवाह 9—10 वर्ष पूर्व सम्पन्न हुआ था जबसे आवेदक एवं अनावेदिका पति पत्नी हैं । अनावेदिका विवाह के समय से ही झगडालू किरम की

महिला रही आये दिन आवेदक और उसके माता पिता के साथ कूरतापूर्ण व्यवहार करती थी और बिना बताये कहीं भी चली जाती थी । आज से करीबन 6 वर्ष पूर्व अनावेदिका अपने पिता के घर चली गई और आज भी वह अपने पिता के यहां स्वेच्छया से निवास कर रही है । आवेदक उसे अपने परिवारजन व समाज के लोगों के साथ कई बार लेने गया लेकिन उसने आने से इंकार कर दिया । आवेदक एवं अनावेदिका ने गत 5 वर्षों से पित पत्नी के रूप में निवास नहीं किया है और न ही शारीरिक संबंध स्थापित हुये हैं । आवेदक व अनावेदिका के भविष्य को देखते हुये समाज के लोगों व रिश्तेदारों के समक्ष दोनों पक्षों के मध्य दिनांक 10—8—16 को परस्पर सहमति से तलाक होना तय हो गया है । अनावेदिका ने अपना सम्पूर्ण भरण पोषण की राशि भी प्राप्त कर ली है अब अनावेदिका का किसी प्रकार का भरण पोषण व विवाह में दिया गया सामान आवेदक पर शेष नहीं है । उभयपक्षकारों के आपसी सहमति के आधार पर विवाह विच्छेद हेतु आवेदनपत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है तथा प्रार्थना की है कि आवेदकगण के हक में सम्पन्न हुये विवाह को परस्पर सहमित के आधार पर विघटित करने की डिकी पारित करने का निवेदन किया गया है ।

- 3— उभयपक्षकारों के द्वारा वर्तमान विवाह विच्छेद याचिका न्यायालय के समक्ष दिनांक 23—8—15 को पेश किया गया उसके उपरांत न्यायालय के द्वारा आगामी तिथियां नियत की गयी | उपरोक्त याचिका के संबंध में पक्षकार कं01 दीपक एवं पक्षकार कं02 श्रीमती शकुन्तला को न्यायालय के द्वारा पूछताछ की गयी और उनके कथन लेखबद्ध किये गये | पक्षकारों के मध्य किसी प्रकार के समझोता, सुलह होने की संभावना से साफ तौर से इन्कार करते हुये उनके द्वारा प्रस्तुत आपसी सहमती के आधार पर तलाक आवेदनपत्र को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है | धारा 13 ख हिन्दू विवाह के अन्तर्गत याचिका पेश हुये 6 माह से अधिक समय व्यतीत हो चुका है |
- 4— उभयपक्षकारों के द्वारा प्रस्तुत आपसी सहमित के आधार पर विवाह विच्छेद याचिका के संबंध में विचार किया गया । पक्षकारों का हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार विवाह सम्पन्न होना तथा पक्षकार कं02 श्रीमती शकुन्तला पक्षकार कं01 संजीवकुमार की विवाहिता पत्नी होना स्पष्ट है । आपसी सहमित के आधार पर उभयपक्षकारों के हस्ताक्षरित तथा फोटोयुक्त याचिका अन्तर्गत धारा 13(ख)हिन्दू विवाह अधिनियम पेश किया गया है । उभयपक्षकारों के मध्य आपसी सुलह—समझौते होने की कोई संभावना नहीं है और न ही उनके साथ साथ रहने की भी कोई संभावना भी दर्शित नहीं होती है । उभयपक्ष करीब पांच वर्ष से भी अधिक अविध से अलग अलग रह रहे हैं । आवेदनपत्र पेश हुये 6 माह से अधिक समय व्यतीत हो चुका है । पक्षकार कं0 1 के द्वारा यह व्यक्त किया गया कि भरण पोषण की संपूर्ण राशि न्यायालय के बाहर

3

पक्षकार कं02 को प्रदान कर दी है अब पक्षकार कं02 किसी प्रकार का कोई भरण पोषण पक्षकार कं0 1 से प्राप्त भी नहीं करना है ।

5— विचारोपरान्त उपरोक्त सभी परिप्रेक्ष्य में उभयपक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत याचिका अन्तर्गत धारा 13(ख) हिन्दू विवाह अधिनियम स्वीकार करते हुये इस संबंध में उभयपक्षों की सहमति के परिप्रेक्ष्य में निम्न आशय की आज्ञप्ति पारित की जाती है :—

1—आवेदक पक्षकार कं01 दीपक तथा श्रीमती शकुन्तला पक्षकार कं02 के मध्य सम्पन्न हुआ विवाह आपसी सहमती के आधार पर बिच्छेदित किया जाता है ।

2-उभयपक्षकार वैवाहिक संबंधों से स्वतंत्र रहेंगे ।

3-उभयपक्ष अपना अपना वाद व्यय स्वंय वहन करेंगे ।

तद्नुसार आज्ञप्ति तैयार की जाये ।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया ।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

(डी०सी०थपलियाल) अपर जिला जज गोहद जिला भिण्ड (डी0सी0थपलियाल) अपर जिला जज गोहद जिला भिण्ड